	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स सरकार बनाम श्रीमती रामवाई वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.06.2020	पत्रावली पेश हुई । प्रकरण में तहसीलदार बसेडी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम सह पठित धारा 88 काश्तकारी अधिनियम वावत आराजी ख.न. 1154 रकवा 0.12 वीघा (नवीन खसरा न. 1113 रकवा 0. 15 है0) ग्राम तिमासिया के रिकार्ड दुरस्ती वावत प्रस्तुत किया गया था आदेशिका दिनांक 06.12.2014 द्वारा प्रार्थना प्रतिवादीगण पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र तहसीलदार बसेडी खारिज किया जा चुका है। एवं काउन्टर क्लेम रिकार्ड पर लिया गया है। प्रतिवादी सं. 1 रामवाई का देहान्त हो जाने से पत्रावली वास्ते कायम मुकाम दिनांक 23.01.2020 को रखी गई थी। जिसमें अभी तक कायम मुकाम की कार्यवाही नही हुई है पत्रावली में मौजूद मूल प्रार्थना पत्र एवं काउन्टरक्लेम प्रतिवादीगण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा चाहा गया अनुतोष केवल दावा प्रस्तुत करके ही प्राप्त किया जा सकता है। चूकि जमाबन्दी एवं नक्शे में भिन्नता होने से राजस्व रिकार्ड में एकरूपता हेतु दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है साथ ही कायम मुकाम की कार्यवाही भी प्रतिवादी वकील द्वारा नही की गई है। अतः न्यायालय की अन्तर निहित शक्तियॉ अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत न्याय के उद्देश्य के लिए एवं न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग रोकने के लिए काउन्टरक्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बसेडी (धौलपुर) राज.	